(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1988-एक/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 18-12-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 11/2006-97 पुर्नस्थापन

ज्ञानचन्द गुप्ता पुत्र सुदामा प्रसाद गुप्ता
निवासी मौजा करोदिया दक्षिण टोला
तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

1- रामस्वरूप गुप्ता पुत्र स्व0रामभरोसे
निवासी मौजा करोदिया दक्षिण टोला
तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

2- मध्य प्रदेश शासन --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक क-1 अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(आवेदक क-2 की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 06 -4 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 11/2006-97 पुर्नस्थापन में पारित आदेश दिनांक 18-12-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार गोपद बनास के समक्ष आवेदन देकर बताया कि उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 552/11 रकबा 0.053 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) ग्राम करोदिया दक्षिण टोला नक्शे में तरमीम नहीं है इसलिये नक्शे में तरमीम की जावे।

तहसीलदार गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 20 अ-5/2006-07 पंजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक से स्थल जॉच कराकर आदेश दिनांक 16-5-2007 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि का नक्शा तरमीम करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 437/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-6-2007 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 1058/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-7-2007 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त कर दिया गया। अदम पैरबी में निरस्त होने पर अनावेदक क-1 ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35(3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण पुर्नस्थापित करने एंव सुनवाई करने की प्रार्थना की। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अंतरिम आदेश दिनांक 7-8-2007 से प्रकरण पुर्नस्थापित किया तथा पक्षकारों की मूल प्रकरण सहित में सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 18-12-2007 पारित किया तथा तहसीलदार गोपद बनास द्वारा प्रकरण कमांक 20 अ-5/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2007 एंव अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास द्वारा प्रकरण कमांक 437/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-6-2007 निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार की ओर उभय पक्षों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालायों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उन्हें उपलब्ध कराये गये अभिलेख

की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत करते हुये बताया कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने यह मानकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं कि मेढ़िया कास्तकारों को सूचना नहीं दी गई है तथा पंचनामा पर मेढ़िया कास्तकारों के हस्ताक्षर नहीं है जबकि राजस्व निरीक्षक ने स्थल पर पैमायश हेतु जाने के पूर्व सभी पक्षकारों को सूचित किया है मोके पर मेढ़िया कास्तकार उपस्थित रहे हैं एंव पंचनामे पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं उन्होंने इन अभिलेखों को निगरानी का सशक्त अधार बताते हुये निगरानी स्वीकार करने की मांग की।

अनावेदक क-1 के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को आधार मानकर तहसीलदार ने नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये है जो गलत हैं क्योंकि नक्शा तरमीम का आदेश देने के पूर्व तहसीलदार को राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार स्थिति बताकर गॉव में मुनादी करवाकर आपत्तियॉ मंगाना थी तथा ग्रामीणों की साक्ष्य लेना थी। उन्होंने अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18-12-07 को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि की स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि नक्शे में चिन्हित नहीं है और नक्शे में सीमा चिन्ह निर्धारित करने की आवेदक की मांग है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को आधार मानकर तहसीलदार गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 20 अ-5/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2007 से आवेदक की भूमि नक्शे में अस्थाई चिन्हित करने के आदेश दिये है अर्थात पेन्सिल या लालस्याही से नक्शे में भूमि चिन्हित होने से भी आवेदक की समस्या का समाधान तब तक नहीं होता है जबकि नक्शे में स्थाई सीमा-चिन्ह निर्धारित नहीं कर दिया जाता । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 में तदाशय की शक्तियॉ कलेक्टर में वेष्ठित है जिसके कारण तहसीलदार नक्शे के सीमा-चिन्हों में स्थाई बदलाव करने हेतु सक्षम नहीं है जिसके कारण तहसीलदार द्वारा अस्थाई सीमा चिन्ह निर्धारित करने से भी स्थिति विवादास्पद रहेगी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने

समस्या के स्थाई निदान की ओर ध्यान न देने में भूल की है, जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश दोषपूर्ण प्रतीत होते हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 11/2006-97 पुर्नस्थापन में पारित आदेश दिनांक 18-12-2007, अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास द्वारा प्रकरण कमांक 437/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-6-2007 एंव तहसीलदार गोपद बनास द्वारा प्रकरण कमांक 20 अ-5/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 16-5-2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कलेक्टर सीधी की ओर से इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अधीक्षक भू अभिलेख को मौके पर भेजें तथा वादग्रस्त भूमि के स्थल की परिमाप मशीन द्वारा कराकर समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नक्शे में स्थाई सीमा चिन्ह अंकित करावें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर